न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 53/2019

दायर तारीख :– 21-06-2019

1. बजरंग सिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील तहसील विराटनगर हाल निवासी–98, वृंद्वावन कॉलोनी खातीपुरा रोड झोटवाडा जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढ़ी

एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 19.11.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम भाबरू पटवार हल्का भाबरू के खाता संख्या 236 के हाल आराजी खसरा नम्बर 2429/0.60 हैक्टेयर, 2432/0.60 हैक्टेयर, 2438/1/0.43 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.63 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 है। यह है कि प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश पृष्ठ संख्या 1 क. सं. 2 दिनांक 02.04.2019 की पालना में दिनांक 29.05.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं पर स्थाई निशानात पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम भाबरू के खाता संख्या 236 के हाल आराजी खसरा नम्बर 2429/0.60 हैक्टेयर, 2432/0.60 हैक्टेयर, 2438/1/0.43 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.63 हैक्टेयर का स्थायी सीमा निर्धारण/पत्थरगढी आवश्यक पुलिस इमदाद तहसीलदार विराटनगर को उपलब्ध करवाई जाकर सीमांकन पत्थरगढ़ी एवं सीमा निश्चयकरण किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 236 संवत् 2072–2075, नकल मौका फर्द सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2019, फोटो प्रति आधार कार्ड आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाकै ग्राम भाबरू पटवार हल्का भाबरू के खाता संख्या 236 के हाल आराजी खसरा नम्बर 2429/0.60 हैक्टेयर, 2432/0.60 हैक्टेयर, 2438/1/0.43 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.63 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश पृष्ठ संख्या 1 क. सं. 2 दिनांक 02.04.2019 की पालना में दिनांक 29.05.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाकै ग्राम भाबरू पटवार हल्का भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 2429/0.60 हैक्टेयर, 2432/0.60 हैक्टेयर, 2438/1/0.43 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 19.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)